www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 09.05.2017

सीबीआई ने बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में एल.ओ.सी. (लुक आऊट सर्कुलर) के आधार पर फरार आरोपी को गोवा एयरपोर्ट से पकड़ा

सीबीआई ने बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में एल.ओ.सी. के आधार पर फरार आरोपी को गोवा एयरपोर्ट से पकड़ा एवं चार दिन की ट्रान्जिट रिमाण्ड पर भेजा। आरोपी को विशेष न्यायाधीश, अहमदाबाद के समक्ष पेश किया जायेगा।

सीबीआई ने चार बैंक कर्मियों सहित 06 व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 12.11.1997 को मामला दर्ज किया। जॉच के पूरा होने पर, चार बैंक कर्मियों सहित 28 आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश, अहमदाबाद के समक्ष दिनांक 25.09.2000 को आरोप पत्र दायर किया। ऐसा आरोप था कि अहमदाबाद स्थित भवन निर्माण की कम्पनी के तत्कालीन निदेशक (मामले का मुख्य अभियुक्त) ने कपटपूर्ण तरीके से 3.77 करोड़ रू. (लगभग) की राशि के 31 चेकों का ऋण प्राप्त किया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा को 3.77 करोड़ रू. (लगभग) की हानि पहुँचाई। उक्त फरार आरोपी, जो कि मुम्बई स्थित कम्पनी के तत्कालीन निदेशक थे तथा अन्यों ने इन चेकों को ज़ारी करने में उक्त मुख्य आरोपी की मदद की।

ऐसा आगे आरोप था कि फरार आरोपी उद्घोषित अपराधी था और उसके विरूद्ध एल.ओ.सी. (लुक आऊट सर्कूलर) जारी किया गया था। बाद में, उनके विरूद्ध आर.सी.एन. (रेड कार्नर नौटिस) भी जारी किया गया तथा प्रत्यर्पण प्रस्ताव भी कनाडा को भेजा गया। ऐसी सूचना मिली कि उसने अपना नाम बदल लिया है और भारत की यात्रा करेगा। उसे सीबीआई के द्वारा जारी एल.ओ.सी.(लुक आऊट सर्कुलर) के आधार पर गोवा एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया।

****